न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 86/2010

वादी :-

1. श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति-ब्राह्मण उम्र-53 वर्ष निवासी हाल-मैनेजर श्री सीमेन्ट लि., रास मौजा-रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. हुण्डिया पुत्र राजिया
2. श्रवणी बेवा लादू
3. भंवरू पुत्र लादू
4. चन्द्रा पुत्र लादू
5. धीरा पुत्र लादू
6. रंगा पुत्र लादू

सभी जातियान-गुर्जर निवासीगण - खेड़ा (रास द्वितीय) तहसील-जैतारण, जिला-पाली

7. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.29/07/2010**

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 02/05/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी श्री सीमेन्ट लि0 कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के भूमि सम्बन्धित कार्यो के लिए बतौर मैनेजर श्री अमरीश कुमार शर्मा नियुक्त व कार्यरत हैं। कम्पनी के द्वारा कृषि भूमि के लिए तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र संशोधित वाद पत्र के साथ पेश हैं। जिसे संशोधित वाद पत्र का एक भाग माना जावें। वादी कम्पनी का उक्त सीमेन्ट प्लोट बांगड़ सीमेन्ट रास के नाम का सरहद मौजा-भीवगढ़ (रास) तहसील-जैतारण में कार्यरत हैं व उत्पादनरत हैं इस सीमेन्ट प्लांट में आवागमन के लिए सड़क की आवश्यकता होने पर ब्यावर से मेड़ता जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 से कम्पनी के प्लांट के खेड़ा गेट तक सड़क निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर वादी द्वारा सरहद मौजा-भीमगढ़ में वाके आराजी खसरा नम्बर 2305 रकबा 2-11 बीघा किस्म सेवज दोयम में से 49/60 हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार से जरिये लिखित पंजीबद्ध बेचान के भूमि के खातेदारी अधिकार वादी ने क्रय किये व 49/60 हिस्से की भूमि जो मौके पर बटी थी व वादी की खरीद सुदा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण ने जरिये आपसी सहमति से मौके पर भूमि का बंटवाड़ा कर वादी के हिस्से की भूमि में से सीमेन्ट प्लांट में से राष्ट्रीय राजमार्ग तक पक्की डामर सड़क का निर्माण किया, जो मौके पर चालु हैं व इससे कम्पनी के आवागमन के लिए मैटेरियल सीमेन्ट आदि का आवागमन हो रहा हैं व इस सड़क निर्माण बाबत् एक राजस्व वाद श्रीमान् के न्यायालय में पेश किया गया। जो राजस्व वाद संख्या 121/2005 छोगा व अन्य बनाम श्री सीमेन्ट व अन्य का श्रीमान् के न्यायालय में चला, जिसमें वादी व प्रतिवादीगण द्वारा फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे जो खेड़ा गेट के नाम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

से जाना जाता हैं से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 तक वादी का निजी खर्चे से पक्की डामर सड़क का रास्ता होना मंजूर किया, साथ में भूमि पर बटी हुई होना व यह सड़क वादी के हिस्से की भूमि पर होना भी प्रतिवादीगण द्वारा मंजूर किया गया व वादी द्वारा अपने हिस्से की खरीदी गई भूमि मौके पर बटी हुई होना व बेचान की जानकारी होना भी स्वीकार किया व इस बाबत् एक राजीनामा पेश कर राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाई सड़क व रास्ते को प्रतिवादीगण द्वारा मंजूर कर भविष्य में किसी प्रकर की बाधा, रूकावट आदि पैदा नहीं करने हेतु अपने आपको पाबन्द किया, उक्त राजीनामा दिनांक 07/02/2006 को एस.डी.एम. जैतारण द्वारा तस्दीक किया गया, उक्त राजीनामा व नजरी नक्शा की फोटो प्रति वाद के साथ पेश हैं जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वाद के पद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2305 रकबा 2-11 बीघा किस्म सेवज दोयम में वादी के 49/60 हिस्से की भूमि के रिकॉर्डेड काबिज खातेदर काश्तकार हैं इस रूप में वादी का नाम जमाबन्दी खतौनी में दर्ज हैं। उक्त भूमि को वाद में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त राजस्व रेकर्ड की मौजूदा जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के हिस्से की भूमि मौके पर बटी हुई हैं व वादी के कब्जे में हैं वादी के फैक्ट्री की सड़क बनी हुई हैं व चालु हैं व रास्ता हैं वादी के हिस्से की भूमि का खाता प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के साथ संयुक्त रूप से दर्ज हैं व लगान शामलाती हैं। नक्शा ट्रेश में भी वादी के हिस्से की भूमि का अलग से तरमीम होकर हिस्सा अलग से दर्शाया हुआ नहीं हैं। इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को मौके की स्थिति अनुसार बंटवाड़ा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने, हिस्से अनुसार लगान बंटवाने व बंटवाड़ा अनुसार नक्शा में तरमीम करवाने का दिनांक 21/05/2010 को कहा, मगर प्रतिवादी ने ऐसा करने से मना कर दिया, इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश हैं। वादी वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। वादी की भूमि मौके पर बटी हुई हैं। मगर राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादीगण का खाता शामलाती दर्ज हैं व नक्शा में भी बंटवाड़ा अनुसार हिस्से अलग से तरमीम कर अलग-अलग नहीं दर्शाये गये हैं व लगान भी शामलाती हैं। इसलिए वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अपने हिस्से की भूमि का मौके पर बंटवाड़ा करवाने व वाद बंटवाड़ा नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी हैं। वादी के हिस्से की भूमि का अलग से खाता दर्ज करवाने व अलग से खसरा नम्बर दर्ज करवाने व हिस्से का लगान बंटवाने बाद तकासमा वादी का हिस्सा अलग से नक्शा में जरिये तरमीम अलग दर्ज करवाने का वादी अधिकारी हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कहने व प्रतिवादीगण ऐसा करने से मना करने पर वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ तकासमा आराजी का वाद प्रस्तुत कर रहा हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादी व प्रतिवादीगण का खाता शामिल होने, नक्शा में तरमीम नहीं होने से प्रतिवादीगण मौके पर वादी के हिस्से की जमीन व उसमें निर्मित सड़क व सड़क के आवागमन में बाधा पैदा करने की दिनांक 21/05/2010 को एलानिया धमकी दी व कहा कि रास्ता रोक देंगे। वादी के कब्जे में दखलन्दाजी करेंगे। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने पर वादी उन्हें ऐसा हरगीज नहीं करने देंगे। जिससे मौके पर टण्टा फसाद व लड़ाई-झगड़ा होगा व ऐसा होने की स्थिति में वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी को होने वाली क्षति का मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादीगण संख्या 7 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त कृषि भूमि में लैण्ड होल्डर राज्य सरकार के प्रतिनिध हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। बिनायवाद दिनांक 21/05/2010 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम–भीवगढ़ (रास) में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री देवाराम कटारिया ने वकालतनामा पेश किया व जबाबदावा पेश करने का अवस चाहा गया। अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश नहीं करने से प्रति0 संख्या 1 का जबाबदावा बन्द किया गया। प्रति0 संख्या 2 से 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादीने दौराने बहस जाकिर किया कि वादी का वाद माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाने की ईश्तदुआ की हैं। वाद–पत्र मय शपथ–पत्र, दस्तावेजात, जमाबन्दी एवं साक्ष्य का शपथ–पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। लिहाजा वादी का वाद प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर माफिक राजस्व रेकर्ड बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा–भीमगढ़ में वाके आराजी खसरा नम्बर 2305 रकबा 2–11 बीघा किस्म सेवज दोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/337 दिनांक 30/03/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /भू0अ0/17/1846 दिनांक 01/05/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–भीमगढ़ में वाके आराजी खसरा नम्बर 2305 रकबा 2–11 बीघा किस्म सेवज दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति–ब्राह्मण उम्र–53 वर्ष निवासी हाल – मैनेजर श्री सीमेन्ट लि., रास खातेदार।	2305/2	2-01-00	से0दो0	1.54 रू.
2	हुण्डिया पुत्र राजीया, श्रवणी बेवा लादू भंवरू, चन्द्रा धीरा रंगा पि0 लादू कौम–गुर्जर सा0 खेड़ा खातेदार।	2305	0-10-00	से0दो0	0.37 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 02/05/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)